ग्राम - बड़गोन्दा

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 सितम्बर 2016—भाद्र 25, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2016

क्र. ई-5-857-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री आईरिन सिंथिया जे पी., आयएएस., कलेक्टर, जिला बुरहानपुर को दिनांक 22 से 27 अगस्त 2016 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 एवं 28 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) सुश्री आईरिन सिंथिया जे पी. की अवकाश अवधि में श्री बसंत कुर्रे, अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बुरहानपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री आईरिन सिंथिया जे पी. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बुरहानपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) सुश्री आईरिन सिंथिया जे पी. द्वारा कलेक्टर, जिला बुरहानपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बसंत कुर्रे कलेक्टर, जिला बुरहानपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में सुश्री आईरिन सिंथिया जे पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

उपरोक्त के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावें.

तहसील धार के 23 ग्राम—1. सुलावड़, 2. लेबड़, 3.सेजवाया 4. डेहरी, 5. पिपल्दा, 6. कलसाडाखुर्द, 7. सेजवानी, 8. एकलदुना, 9. गुणावद, 10. मिर्जापुर, 11. नाजिकबरोदा, 12. निजामपुरा, 13. कुमार कराडिया 14. उमरिया, 15. बागोदा, 16. बक्साना, 17. भिचौली, 18. उदली, 19. सुहागपुरा, 20. आंसूखेड़ी, 21. माधवपुर, 22. कल्याणसीखेड़ी, 23. खण्डवा.

(3) नगर पंचायत बेटमा, जिला इन्दौर—1.बेटमा

उपरोक्त के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावें.

नगर पंचायत बेटमा, जिला इन्दौर—1.बेटमा खास.

(4) तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर के 25 ग्राम—1. औसरोद, 2. सांगवी, 3. घाटोबिल्लोद, 4. ताजखेड़ी, 5. मेढवाड़ा, 6. झलारिया, 7. मोथला, 8. पीर पीपल्या, 9. करवासा, 10. बंदीपुरा, 11. बिजेपुर, 12. सलेमपुर, 13. रनमल बिल्लोदा, 14. काली बिल्लोद, 15. अम्बापुरा, 16. किशनपुरा, 17. बेटमाखुर्द, 18. भंवरगढ़, 19. बजरंगपुरा, 20. चिराखान, 21. माचल, 22. गलोडा, 23. धरावरा, 24. धन्नड़, 25 बगोदा.

उपरोक्त के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावें.

तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर के 25 ग्राम—1. औसरोद, 2. सांगवी, 3. घाटाबिल्लोद, 4. ताजखेड़ी, 5. मेठवाड़ा, 6. झलारीया, 7. मोथला, 8. पीर पिपल्या, 9. करवासा, 10. बदीपुरा, 11. बिजेपुर, 12. सलमपुर, 13. रणमल बिल्लौद, 14. काली बिल्लौद, 15. अम्बापुरा, 16. किशनपुरा, 17. बेटमाखुर्द, 18. भंवरगढ़, 19. बजरंगपुरा, 20. चिराखान, 21. माचल, 22. गलोंडा, 23. धरावरा, 24.धन्नड़, 25 बागौदा.

(5) तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर के 3 ग्राम—1. नरलाय, 2. मोकलाय, 3. देहरी.

उपरोक्त के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावें.

तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर के 3 ग्राम—1. नरलाय, 2. मोकलाय, 3. डेहरी.

(6) तहसील महू, जिला इन्दौर के 8 ग्राम—1. केवटी, 2. टिही, 3. भाटखेड़ी, 4. गोपालपुरा, 5. बंजारी, 6. सोनवाय, 7. भोंसलाय, 8. पीपल्या मल्हार.

उपरोक्त के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावें.

तहसील महू, जिला इन्दौर के 8 ग्राम—1. कवटी, 2. टिही, 3. भाटखेड़ी, 4. गोपालपुरा, 5. बंजारी, 6. सोनवाय, 7. भैंसलाय, 8. पिपल्यामल्हार.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 5 सितम्बर 2016

सार्वजनिक सूचना

(म. प्र. शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 के अंतर्गत)

क्र. 2035-भू-अर्जन-2016.—चूंकि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 के अंतर्गत राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अद्योसंरचनाओं के लिये निजी भूमि की आवश्यकता के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर की राऊ-महू-मण्डलेश्वर मार्ग निर्माण बी. ओ. टी. (एन्युटी) योजना के लिये नीचे लिखे विवरण में उल्लेखित भूमि स्वामियों के धारणाधिकार की निजी भूमि क्रय करने की आवश्यकता है. विवरण में उल्लेखित भूमि स्वामियों द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप ''ख'' में विक्रय करने की सहमति प्रस्तुत कर दी गयी है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कण्डिका 11(1) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है, कि नीति के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को

छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा :—

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला—इन्दौर, तहसील—डॉ. आम्बेडकर नगर (महू), ग्राम—बड़गोन्दा, कुल रकबा—1.031 हेक्टेयर.

प्रकरण क्र.—01-अ 82-2015-16.

क्र.	भूमि स्वामी का विवरण	सर्वे नम्बर	प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)			अन्य सम्पत्ति
			सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
1	सुशीला बाई पति रामेश्वर जाट	230/2	0.020	–	0.020	खाखरा-6, नीम-3,
		231/2	0.025	–	0.025	बैर-2, बबूल-1, सागवान-1.
			0.045		0.045	
2	जगदीश पिता छोगालाल जाट	232/2	0.015	–	0.015	खाखरा-6, नीम-1 गधा पलाश-1.
3.	रविकुमार पिता रामचंद्र अहीर	272/2	0.070	–	0.070	–
4.	कैलाश चन्द्र पिता बाबूलाल जाट	406	0.055	–	0.055	–
		407	0.100	–	0.100	
			0.155		0.155	
5.	घीसालाल गोविन्द पिता मोतीलाल ब्राहम्ण.	430/2	0.015	–	0.015	खांखरा-2, नीम-1, आम-1, बबूल-1, खजूर-1.
6.	राजेश पिता प्रहलाद जाट	431	0.010	–	0.010	नीम-1, खजूर-2
		432/1	0.025	–	0.025	
			0.35		0.35	
7.	संपतबाई पति प्रहलाद जाट	432/2	0.025	–	0.025	बबूल-2
		433/1	0.035	–	0.035	गोंदी-1
			0.60		0.60	
8.	रामीबाई पति हरिराम खाती	564/1	0.250	–	0.250	खाखरा-2 आम-1
9.	माखनलाल पिता हरीराम खाती	561/2	0.050	–	0.050	खाखरा-1
		564/2	0.020	–	0.020	नीम-1
		565/2	0.015	–	0.015	
			0.085		0.085	
10.	मोहनलाल पिता जगन्नाथ महाजन	660	–	0.008	0.008	–

(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
11.	नाथीबाई, घीसालाल, भगवानदास, कैलाशचन्द्र पिता घीसालाल, गिरधारीलाल पिता मुरलीधर, भवरीलाल पिता श्रीकृष्ण महाजन, रामकुमार पिता ओमप्रकाश महाजन.	661	-	0.005	0.005	-
12.	बद्रीलाल विष्णु कैलाश पिता बृजलाल तेली	662	-	0.005	0.005	-
13.	विष्णूराम जुगलकिशोर पिता भगवानदास महाजन	663	-	0.005	0.005	-
14.	राजेन्द्र, संतोष पिता जानकीलाल, जानकीलाल पिता मैनाजी धनगर.	681	-	0.040	0.040	इमली-1
15.	जानीबाई विधवा बाबू, खुशाल, लक्ष्मण, छोटेलाल मायाबाई पिता बाबू जाट.	682	-	0.040	0.040	-
16.	विंध्याबाई पति कमल कुमार जाति अहिर निवासी आशापुरा	286/2 1	0.198	-	0.198	-
			0.928	0.103	1.031	

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डॉ. आम्बेडकर नगर (महू) जिला इन्दौर एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर (म. प्र.) के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर.